संख्या-52/2022/824/26-3-2022-1(50)/2020

प्रेषक

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 मई 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों-केराकत जौनपुर एवं गोविन्ददासपुर जौनपुर में साज-सज्जा फर्नीचर बेडिंग एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-102/स0क0/ए0टी0एस0-प्रकोष्ठ/पद सृजन-168/2022-23 दिनांक-21.04.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों-केराकत-जौनपुर एवं गोविन्ददासपुर-जौनपुर में साज-सज्जा, फर्नीचर, बेडिंग एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4225-01-789-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीने और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख (रूपये-पांच करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये व्यय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1)- निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, लि0 लखनऊ से तत्काल अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

(2)- समस्त कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

(3)- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों/क्रय सम्बन्धी शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार सामग्री का क्रय करते हुए वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4)- आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(5)- निदेशक, समाज कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये इस्टीमेट के क्रम में आवश्यक धनराशि का ही व्यय किया जाये।

(6)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति

अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(9) बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

3- उक्त स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-24/2022/559/26-3-2022-1(50)/2020, दिनांक-25.03.2022 के द्वारा निर्गत स्वीकृति के स्थान पर प्रदान की जा रही है।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-01-789-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीने और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0- /2022/824 (1)/26-3-2022 तददिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रबंधक (वि0आ0प्र0), उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, लि0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0।
8- गार्डफाइल।

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in